मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल,अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फोन/फैक्स नं0—0522—2308502, 6666192 वेबसाईट—www.upmdm.org ई मेल—lkomdm@gmail.com

संख्याः म0भो0प्रा0/C-6030 /2011—12 दिनांक 13 मार्च, 2012

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

विषयः—<u>मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, एन0सी0एल0पी0 विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु किचेन उपकरण/बर्तन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के साथ संलग्न अनुसचिव, शिक्षा अनुभाग—6 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः—1415/79—6—2011 दिनांक 12.03.12 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, एन0सी0एल0पी0 विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु किचेन उपकरण/बर्तन हेतु रू0 671.85 लाख (रू0 छः करोड इक्हत्तर लाख पच्वासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि शासन के पत्र दिनांक 12.13.12 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संतोष कुमार)
अपर निदेशक

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(संतोष कुमार)
अपर निदेशक

संख्या—1415/79—6—2011

प्रेषक,

इन्द्रराज सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग—6 लखनऊः दिनांकः 12-3-,2012.

विषय—मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, एन0सी0एल0पी0 विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु किचेन उपकरण/बर्तन हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण लखनऊ के पत्र संख्या—म0भो0प्रा0/3017/2011—12 दिनांक 13—10—2011 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, एन0सी0एल0पी0 विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका—पकाया भोजन (कुक्ड मील) दिए जाने हेतु किचेन उपकरणों/बर्तन के लिए रू0671.85 लाख (रूपये छः करोड़ इकहत्तर लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्य पाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर निर्धारित कार्यो पर व्यय करने हेतु नगर निगम /नगर पालिका/नगर पंचायत/टाउन एरिया/ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जाएगी जिनके द्वारा यह धनराशि उनकी क्षेत्र सीमा के योजनान्तर्गत आने वाले विद्यालयों में प्रति विद्यालय अधिकतम रू05000/—की दर पर किचेन उपकरण के क्रय हेतु प्रयोग में लाई जाएगी। इस धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा यह धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जाएगी :—

(1) उक्त धनराशि का अलग से लेखा खाता रखा जाएगा और इस धनराशि को जिस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है इसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।

(2) इस धनराशि से प्राप्त की गयी सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण एक अलग रजिस्टर में नियमानुसार अंकित किया जायेगा।

– आयोजनागत – 112 –विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0102–खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100/रा.0के)–20–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सख्या–ई–11–114/दस–2011 दिनांक–09.–2–2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(इन्द्रराज सिंह)
अनु सचिव ।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
3– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
4– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
5– नियोजन विभाग अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन ।
6– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
7– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
8– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
9– संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
10– संबंधित समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0।
11– संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।
12– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
13– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनु सचिव।

mdm v

शासनादेश संख्या -1415/79-6-2011 दिनांक 12-3-2012 का संलग्नक

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत किचन उपकरण/बर्तन मद में वार्षिक कार्य योजना बजट 2011-12 के अंतर्गत जनपदों द्वारा की गयी मांग के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशी का आवंटन

k

S.N.	District	Total No. of Institutions	sanctioned during 2006-07, 07-08 & 08-09 under MDM	Balance Requirement	Amount in Rs. Lac. @5000/- per School	Break-up of Col-5 and Col-6: Units being Sanctioned out of funds released By GOI in 2011-12	Break-up of Col-5 and Col-6: Funds being Sanctioned in Rs. Lac. @5000/- per School
1	2	3	4	5=3-4	6=5X 5000	7	8=7X 5000
1	AGRA	2852	2579	273	13.65	244	12.20
2	ALIGARH	2572	2233	339	16.95	303	15.15
3	ALLAHABAD	3718	3239	479	23.95	428	21.40
4	AMBEDKAR NAGAR	1966	1756	210	10.50	188	9.40
5	AURAIYA	1618	1426	192	9.60	172	8.60
6	AZAMGARH	3393	2957	436	21.80	390	19.50
7	BADAUN	2962	2795	167	8.35	149	7.45
8	BAGHPAT	741	654	87	4.35	78	3.90
9	BAHRAICH	3282	3115	167	8.35	149	7.45
10	BALLIA	2693	2411	282	14.10	252	12.60
11	BALRAMPUR	1998	1848	150	7.50	134	6.70
12	BANDA	2011	1934	77	3.85	69	3.45
13	BARABANKI	2818	2640	178	8.90	159	7.95
14	BAREILLY	2906	2547	359	17.95	321	16.05
15	BASTI	2325	2124	201	10.05	180	9.00
16	BHADOHI	1063	1000	63	3.15	56	2.80
17	BIJNOR	2627	2469	158	7.90	141	7.05
18	BULANDSHAHR	2629	2382	247	12.35	221	11.05
19	CHANDAULI	1526	1443	83	4.15	74	3.70
20	CHITRAKOOT	1350	1310	40	2.00	36	1.80
21	CSM NAGAR	1883	1655	228	11.40	204	10.20
22	DEORIA	2614	2174	440	22.00	393	19.65
23	ETAH	1841	1685	156	7.80	139	6.95
24	FAIZABAD	2036	1933	103	5.15	92	4.60
25	FARRUKHABAD	1859	1711	148	7.40	132	6.60
26	FATEHPUR	2542	2338	204	10.20	182	9.10
27	FIROZABAD	2070	1815	255	12.75	228	11.40
28	G. B. NAGAR	733	665	68	3.40	61	3.05
29	GHAZIPUR	2746	2368	378	18.90	338	16.90
30	GHAZIYABAD	1374	1175	199	9.95	178	8.90
31	GONDA	2839	2709	130	6.50	116	5.80

S.N.	District	Total No. of Institutions	sanctioned during 2006-07, 07-08 & 08-09 under MDM	Balance Requirement	Amount in Rs. Lac. @5000/- per School	Break-up of Col-5 and Col-6: Units being Sanctioned out of funds released By GOI in 2011-12	Break-up of Col-5 and Col-6: Funds being Sanctioned in Rs. Lac. @5000/- per School
1	2	3	4	5=3-4	6=5 X 5000	7	8=7 X 5000
32	GORAKHPUR	3128	2820	308	15.40	275	13.75
33	HAMIRPUR	1219	1154	65	3.25	58	2.90
34	HARDOI	3653	3438	215	10.75	192	9.60
35	HATHRAS	1494	1312	182	9.10	163	8.15
36	ITAWAH	1839	1722	117	5.85	105	5.25
37	J. P. NAGAR	1586	1439	147	7.35	131	6.55
38	JALAUN	1926	1751	175	8.75	156	7.80
39	JAUNPUR	3370	3053	317	15.85	283	14.15
40	JHANSI	1781	1650	131	6.55	117	5.85
41	KANNAUJ	1586	1412	174	8.70	156	7.80
42	KANPUR DEHAT (RAM	2270	2190	80	4.00	72	3.60
43	KANPUR NAGAR	2530	2200	330	16.50	295	14.75
44	KASHIRAM NAGAR	1413	1331	82	4.10	73	3.65
45	KAUSHAMBI	1426	1350	76	3.80	68	3.40
46	KUSHINAGAR	2741	2525	216	10.80	193	9.65
47	LAKHIMPUR KHERI	3568	3181	387	19.35	346	17.30
48	LALITPUR	1415	1396	19	0.95	17	0.85
49	LUCKNOW	2102	923	1179	58.95	1054	52.70
50	MAHOBA	1040	1008	32	1.60	29	1.45
51	MAHRAJGANJ	2014	1880	134	6.70	120	6.00
52	MAINPURI	2155	2012	143	7.15	128	6.40
53	MATHURA	1901	1720	181	9.05	162	8.10
54	MAU	1736	1444	292	14.60	261	13.05
55	MEERUT	1662	1289	373	18.65	333	16.65
56	MIRZAPUR	2171	1961	210	10.50	188	9.40
57	MORADABAD	2998	2771	227	11.35	203	10.15
58	MUZAFFARNAGAR	2183	1992	191	9.55	171	8.55
59	PILIBHIT	1807	1730	77	3.85	69	3.45
60	PRATAPGARH	2675	2355	320	16.00	286	14.30
61	RAE BARELI	1942	1849	93	4.65	83	4.15
62	RAMPUR	1992	1801	191	9.55	171	8.55
63	SAHARANPUR	2036	1870	166	8.30	148	7.40
64	SANT KABIR NAGAR	1549	1275	274	13.70	245	12.25
65	SHAHJAHANPUR	3240	2881	359	17.95	321	16.05
66	SHRAWASTI	1236	1163	73	3.65	65	3.25
67	SIDDHARTHNAGAR	2327	2271	56	2.80	50	2.50
68	SITAPUR	3891	3622	269	13.45	240	12.00
69	SONBHADRA	1955	1872	83	4.15	74	3.70

S.N.	District	Total No. of Institutions	sanctioned during 2006-07, 07-08 & 08-09 under MDM	Balance Requirement	Amount in Rs. Lac. @5000/- per School	Break-up of Col-5 and Col-6: Units being Sanctioned out of funds released By GOI in 2011-12	Break-up of Col-5 and Col-6: Funds being Sanctioned in Rs. Lac. @5000/- per School
1	2	3	4	5=3-4	6=5 X 5000	7	8=7 X 5000
70	SULTANPUR	2128	1970	158	7.90	141	7.05
71	UNNAO	2939	2748	191	9.55	171	8.55
72	VARANASI	1629	1386	243	12.15	217	10.85
	Total	157840	142807	15033	751.65	13437	671.85

(इन्द्रराज सिंह)
अनु सचिव, शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।